कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फ़तेहपुर।

पत्रांक 3836 / 22-5 दिनांक, फ़तेहपुर, जून , 23 2017 ॥

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
784 विष्णु नगर, सत्यम हास्पिटल के सामने रायबरेली।

विषय:- जनपद फ़तेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 के किमी0 211.837 से किमी0 22.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवर्गीकृत न भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-62/14-2-2017-800(62)/2017 दिनांक 23.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठांकित है से 24 शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन विषयगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1- शर्त संख्या -1 के अनुसार प्रभावित वन भूमि 0.7954 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) रु0 497920.00 ई- चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जाय।

2- शर्त संख्या -2 के अनुसार प्रभावित वन भूमि 0.7954 हे0 के दुगुने अर्थात 1.5908 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु0 389500.00 ई- चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जाय।

3- शर्त संख्या -3 के अनुपालन में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।

उक्त धनराशि कैम्पा में जमा कर ई-रसीद उपलब्ध कराएं साथ ही सभी 24 शर्तों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं जिससे विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फ़तेहपुर

संख्या /समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फ़तेहपुर